न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-58RAAJodhpur2022-24RTA225 Bharatsingh Vs Rajendrasingh etc

01. भारतसिंह गहलोत पुत्र श्री पन्नालाल गहलोत, जाति माली, निवासी- 423ए/2, द्वितीय पोलो, भगतसिंह मार्ग, जोधपुर।
02. पीयूष गहलोत पुत्र सूर्यप्रकाश गहलोत, जाति माली, निवासी- 423-ए/2, द्वितीय पोलो, भगतसिंह मार्ग, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. राजेन्द्रसिंह पुत्र भारतसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी- 423-ए/2, द्वितीय पोलो, भगतसिंह मार्ग, जोधपुर।
02. सूर्यप्रकाश गहलोत पुत्र भारतसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी- 423-ए/2, द्वितीय पोलो, भगतसिंह मार्ग, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 09 फरवरी 2021 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2020 राजेन्द्रसिंह बनाम भारतसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 11 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2020 अनवान राजेन्द्रसिंह बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भारतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 652 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा 15 बिस्वांशी (वर्तमान जमाबंदी अनुसार) ग्राम मण्डोर के संबंध में धारा 88, 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताकर वाद प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त आराजी कभी पुश्तैनी भूमि नहीं है। अपीलांट के जीवनकाल में रेस्पोडेंट संख्या एक को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हुए है जो किसी तरह की घोषणा उसके पक्ष में किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने स्वः अर्जित सम्पति एवं पैतृक सम्पति के बीच के अंतर को समझने का प्रयास ही नहीं किया एवं न इस पर कोई निष्कर्ष दिया है। पन्नालाल के फौत होने पर सीधे कृषि भूमि में अधिकार उसके पुत्र भारतसिंह वगैरह को प्राप्त हुए है। इस प्रकार यह प्रथम ट्रांसफर था व भारतसिंह व स्व. पन्नालाल के अन्य पुत्र इस भूमि के एबसोल्यूट ऑनर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए एवं उसके पुत्रों को उनके जीवनकाल में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुए। स्वयं विचारण न्यायालय ने माना है कि वादग्रस्त आराजी स्वः अर्जित है या पुश्तैनी इसका निर्णय अभी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दसतावेजी साक्ष्य के अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 फरवरी 2021 को निरस्त किया जावे एवं वादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान लगतकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या एक के दादा पन्नालाल के नाम से दर्ज रही है। स्व. पन्नालाल के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई है। इसलिए वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक की पुश्तैनी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए उभय पक्ष को सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 652 रकबा 7.03 बीघा का बापी पट्टा दिनांक 08.05.1943 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धन्ना व पन्नालाल बेटा नथुरा के नाम जारी किया किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात पक्षकारान् द्वारा आपसी बंटवाड़ा किये जाने से उक्त बंटवाड़े के जरिये अपीलांट भारतसिंह का नाम रामदयाल, पृथ्वीसिंह, पुत्र पन्नालाल के साथ वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार के रूप में दर्ज है।

अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि वादग्रस्त आराजी के स्वअर्जित होने अथवा कोपासनरी की होने का निस्तारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। दौराने वाद वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 99/2020 अनवान राजेन्द्रसिंह बनाम भारतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 फरवरी 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर